भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1847
दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

चिकित्सा उपकरण उद्योग की अवसंरचना को मजबूत करना

1847. श्रीमती पूनमबेन माडमः
कैप्टन बृजेश चौटाः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चिकित्सा उपकरण उद्योग को सुदृढ़ करने के लिए 500 करोड़ रुपये की योजना शुरू की है और यदि हां, तो योजना के प्रमुख घटक और उद्देश्य क्या हैं;
(ख) योजना को लागू करने और चिकित्सा उपकरण विनिर्माण के लिए कच्चे माल और घटकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में रसायन और पेट्रोरसायन विभाग की क्या भूमिका है;
(ग) चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में आयात निर्भरता को कम करने और महत्वपूर्ण घटकों के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना के तहत क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(घ) क्या सरकार इस योजना के तहत चिकित्सा उपकरण विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो कर्नाटक और दक्षिण कन्नड़ सहित प्रस्तावित स्थान कहां-कहां हैं;
(ङ) उत्पादन क्षमता, रोजगार सृजन और निर्यात क्षमता में अनुमानित वृद्धि सहित चिकित्सा प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता संबंधी योजना का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और
(च) क्या चिकित्सा उपकरण क्षेत्र की सहायता करने के लिए कोई क्षमता निर्माण और कौशल विकास पहल लागू की जा रही है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): चिकित्सा उपकरण उद्योग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जिनमें प्रमुख घटकों और सहायक उपकरणों का विनिर्माण, कौशल विकास, नैदानिक अध्ययनों के लिए सहायता, साझे बुनियादी ढांचे का विकास और उद्योग संवर्धन शामिल हैं, में सहायता प्रदान करने के लिए, दिनांक 8.11.2024 को 500 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ पांच उप-योजनाओं के साथ "चिकित्सा उपकरण

उद्योग का सुदृढ़ीकरण" नामक एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत उप-योजनाओं के उद्देश्य इस प्रकार हैं: -

(i) **चिकित्सा उपकरण क्लस्टरों के लिए साझा सुविधाएं:** साझी बुनियादी ढांचा सुविधाएं सृजित करने, घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देने और क्लस्टर गुणवत्ता में सुधार करने तथा गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए और अधिक चिकित्सा उपकरण परीक्षण प्रयोगशालाओं की उपलब्धता के सुदृढ़ीकरण के लिए चिकित्सा उपकरण क्लस्टरों को वित्तीय सहायता प्रदान करके मौजूदा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।

(ii) **आयात निर्भरता को कम करने के लिए सीमांत निवेश योजना:** भारतीय चिकित्सा उपकरण विनिर्माताओं की आयातित प्रमुख घटकों और कच्चे माल पर निर्भरता को कम करने और हमारी मूल्य श्रृंखलाओं की गहराई को संवर्धित करने के लिए इन-विट्रो डायग्नोस्टिक उपकरणों सहित चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख घटकों, कच्चे माल और सहायक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना।

(iii) **चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में क्षमता निर्माण और कौशल विकास:** इस घटक का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान में मौजूद अंतर को भरना और चिकित्सा प्रौद्योगिकी शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, प्रशिक्षण और उत्कृष्टता को सुनिश्चित करना है, ताकि चिकित्सा प्रौद्योगिकी के तेजी से नवाचार करने वाले बहु-विषयक क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने और क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र सृजित करने के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन की महत्वपूर्ण अधिकाधिक संख्या तैयार की जा सके।

(iv) **चिकित्सा उपकरण नैदानिक अध्ययन सहायता योजना:** नैदानिक साक्ष्य द्वारा समर्थित उपकरणों के विकास को बढ़ावा देने और भारत में विनिर्मित उपकरणों की सुरक्षा और प्रभावकारिता को प्रदर्शित करने वाले नैदानिक डेटा के निर्माण के माध्यम से चिकित्सा उपकरण उद्योग को सहयोग प्रदान करना। इससे बेहतर प्रभावकारिता और सुरक्षा के साथ गुणवत्ता वाले उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। इससे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करने के लिए घरेलू विनिर्माताओं की विश्वसनीयता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश के बाहर के बाजारों में उनके लिए अवसर खुलेंगे।

(v) **चिकित्सा उपकरण संवर्धन योजना:** उद्योग के नेताओं, शिक्षाविदों और नीति विनिर्माताओं को क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करने के साथ-साथ अध्ययन आयोजित करने, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने, डेटाबेस बनाने और उद्योग को संवर्धन प्रदान करने के माध्यम से क्षेत्र की वृद्धि और विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग का संवर्धन करना।

(ख): इस योजना के तहत रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग (डीसीपीसी) के लिए कोई विशेष भूमिका परिकल्पित नहीं है। हालांकि, डीसीपीसी चिकित्सा उपकरण उद्योग द्वारा आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता की सुविधा प्रदान कर सकता है।

(ग): आयात निर्भरता को कम करने के लिए सीमांत निवेश योजना उप-योजना के माध्यम से, चिकित्सा उपकरण के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख घटकों, कच्चे माल और सहायक उपकरण के विनिर्माण के लिए आवेदक के टर्नओवर के आधार पर 10-20% की पूंजी सब्सिडी के रूप में उद्योग को अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक सहायता उपलब्ध होगी। इससे देश में इन सामग्रियों के आयात को कम करने और चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण में हमारी आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी।

(घ): जी, नहीं। सरकार इस योजना के तहत चिकित्सा उपकरण विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करने की योजना नहीं बना रही है।

(ङ): इस योजना का समग्र लक्ष्य भारत को चिकित्सा उपकरण विनिर्माण और नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। उद्योग द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख चुनौतियों का समाधान करके, इस योजना से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलने, रोजगार सृजित होने और भारतीय रोगियों के लिए वहनीय और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा उपकरणों तक पहुंच में सुधार होने की उम्मीद है। उद्योग जगत के दिग्गजों, शोध संस्थानों और सरकारी निकायों के बीच सहभागिता को बढ़ावा देकर, यह योजना घरेलू क्षेत्र को सुदृढ़ कर सकती है, आयात पर निर्भरता कम कर सकती है और इस देश को वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजार में अग्रणी के रूप में स्थापित कर सकती है।

(च): चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में क्षमता निर्माण और कौशल विकास योजना, तीन वर्षों की अवधि के लिए 100 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ स्वीकृत नई योजना "चिकित्सा उपकरण उद्योग का संवर्धन" के घटक/उप-योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत चिकित्सा उपकरणों में बहु-विषयक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एमएस/एमटेक/पीजी-डिप्लोमा) संचालित करने के लिए केंद्र सरकार के विश्वविद्यालयों/संस्थानों को तथा चिकित्सा उपकरण उद्योग के मौजूदा कार्यबल (तकनीशियन, नियामक) के लिए डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए केंद्र/राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों/संस्थानों और निजी संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

*****